न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–132/2022
जी.सी.एम.एस नं.–2022/376

1. सजनी देवी पत्नी सुखराम पुत्री रूपराम जाति बावरी निवासी चक 4 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. लिछमी देवी पत्नी देवीलाल पुत्री रूपराम जाति बावरी निवासी चक 19 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. जमना पत्नी भीया राम पुत्री रूपाराम जाति बावरी निवासी नानूवाली कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———प्रार्थीगण

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी रूपाराम जाति बावरी निवासी चक 6 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मनीराम पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी चक 6 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. बृजलाल पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी चक 6 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुरजाराम पुत्र रूपराम जाति बावरी निवासी चक 6 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. तुलछी पुत्री रूपाराम जाति बावरी निवासी चक 6 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. पार्वती पुत्री रूपा राम जाति बावरी निवासी चक 6 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील उपस्थित–

1. श्री पवन कुमार चुघ वादीगण की ओर से
2. श्री हसंराज डाल एडवोकेट प्रतिवादीगण सं.–1 व 6 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांकः–20/5/26

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी[illegible] के [illegible] श्री रूपराम पुत्र रामूराम कौम बावरी के नाम से वाके चक 7 के तहसील अनूप[illegible] मु.न.–3 प.न.–137/25 का किला नं.–1ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 की [illegible] कुल 4.997 हैक्टर यानि 20 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि एवं चक 6 [illegible] तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पत्थर सं.–157/56 का किला नं.–1 ता 16 प्रत्येक 0.253 अनकमाण्ड, 17ता19 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 20 की 0.253 अनकमाण्ड, 21/1 का 0.228, 22/1 का

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228. 25/1 का 0.228 कमाण्ड कुल 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। आयंदा प्रार्थना पत्र में उक्त कृषि भूमि को विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। प्रार्थीगण के पिता रूपराम पुत्र रामूराम का दिनांक 13.04.1991 को देहान्त हो गया। यहां यह दर्ज करना उचित होगा कि प्रार्थीगण के पिता रूपराम की दो शादीयां हुई थी जिसका प्रथम विवाह प्रार्थीगण की माता गोमती के साथ हुआ था जिसके नुत्फ से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का एक भाई राजपाल पैदा हुऐ थे प्रार्थीगण का भाई राजपाल नाबालिग अवस्था में ही फौत हो गया था तथा प्रार्थीगण के पिता रूपराम ने अप्रार्थी सं.–1 लिछमादेवी के साथ भी नाता किया था रूपराम एवं अप्रार्थी सं.–1 के संसर्ग से अप्रार्थी सं.–2 ता 6 पैदा हुऐ इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 6 मृतक रूपराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करती है कि मृतक रूपराम को उक्त विवादित कृषि भूमि भूमिहीन में पुख्ता आवंटन हुई थी मृतक रूपराम द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष राजस्थान उपनिवेश (1955) के पश्चात के अस्थाई कृषि पट्टेधारियो को तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1971 के अधीन सरकारी भूमि का आवंटन के लिऐ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण के पिता रूपराम द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में अपने वारिसों व कुटुम्ब के सदस्यों के तौर पर प्रार्थीगण, प्रार्थीगण की माता गोमती व भाई राजपाल का नाम अंकित किया गया है तत्पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के पिता रूपराम को उक्त विवादित कृषि भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए उक्त कृषि भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 10.02.1982 को किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण को भी प्रार्थीगण के पिता रूपराम के साथ उक्त विवादित भूमि के आवंटन का पात्र माना गया था जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मृतक रूपराम की हकीकी पुत्रीयां व प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण का भी हित निहित है और प्रार्थीगण अपने मृतक पिता रूपराम की उक्त भूमि में विरास्तन हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है तथा प्रार्थीगण का अपने मृतक पिता रूपराम के नाम की उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा हित निहित है। प्रार्थीगण के पिता रूपराम के देहान्त उपरांत उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/9 हिस्सा के रूप में विरास्तन प्राप्त हुई थी लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने बेईमानी एवं लालचवश प्रार्थीगण को उनके अपने पिता से प्राप्त हो रहे हक अधिकारों से वंचित करने के उदेश्य से मूल आवंटी रूपराम के देहान्त उपरांत उसकी तीन पुत्रीयों यानि प्रार्थीगण को मृतक रूपराम की विधिक वारिस होना छुपाते हुऐ व तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत 6 पी तहसील अनूपगढ़ से सांठगांठ एवं मिलीभक्त करके एक फर्जी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2006 को तैयार करवा लिया इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता रूपराम के फर्जी एवं कूटरचित वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2006 कार्यालय ग्राम पंचायत 6 पी जो रूपराम की पुत्रीयों वारिसों को छुपाते हुऐ अकेले अप्रार्थी सं.–1 ता 6 के नाम से तैयार किया है प्रार्थीगण के अधिकारों के प्रति आरम्भ से शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है जिससे प्रार्थीगण के कतई [illegible] विवादित भूमि में जो प्रार्थीगण को प्राप्त हो रहे है, प्रभावित नही होते है। अप्रार्थी [illegible] को यह भलीभान्ति ज्ञान था कि मृतक रूपराम के प्रथम [illegible] वारिसान हक है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 ता 6 ने तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत [illegible] तहसील अनूपगढ के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्रीय (यो[illegible]पूर्वक गलत रूप से प्रार्थीगण को मृतक रूपराम के के वारिस बताकर उक्त कृषि भूमि को हड़प करने की नीयत से तत्कालीन संरपच से सांठ गाठ करके फर्जी व कूटरचित वारिसनामा दिनांक

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

14.02.2006 का तैयार करवाकर उसके आधार पर उपरोक्त दोनों चकों क्रमशः चक 7 के 'ए' व चक 6 के 'ए' में रूपराम के नाम की समस्त कृषि भूमि का तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ से चक 7 के 'ए' की जमीन का इन्तकाल सं.–48 दिनांक 14.02.2006 को व चक 6 के 'ए' की जमीन का इन्तकाल सं.–51 दिनांक 14.02.2006 को अप्रार्थी सं.–1 ता 6 ने अकेले अपने राजस्व अभियान में नाम दर्ज करवा लिया। इस प्रकार उक्त आरम्भ से शून्य वारिसनामा के आधार पर विवादित भूमि के दर्ज विरास्तन इन्तकाल क्रमशः इन्तकाल सं–48 दिनांक 14.02.2006 व इन्तकाल सं.–51 दिनांक 14.02.2006 कतई गलत, आरम्भ से शून्य विधि विरुद्ध एवं प्रार्थीगण के अधिकारों के प्रति निष्प्रभावी है जिससे प्रार्थीगण के हित व अधिकार कतई प्रभावित नही होते है। स्व. रूपराम के देहान्त उपरांत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 कुल 9 प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान थे और उक्त समस्त वारिसान ही स्व. रूपराम की उक्त विवादित कृषि भूमि को बहिस्सा बराबर विरास्तन आधार पर प्राप्त करने के विधिक अधिकारी थे तथा उक्त विवादित भूमि में प्रत्येक वारिस का 1/9 हिस्सा हित निहित था लेकिन अप्रार्थी सं.–1 ता 6 ने स्व. रूपराम की पुत्रीयां वारिसान यानि हम प्रार्थीगण को छुपाते हुऐ व मिलीभक्त से अकेले अपने नाम से तथाकथित फर्जी व कूटचित वारिस प्रमाण पत्र तैयार करवाकर उसके आधार पर समस्त कृषि भूमि का अप्रार्थी सं.–1 ने अकेले अपने नाम से विरास्तन इन्तकाल क्रमशः इन्तकाल सं.–48 दिनांक 14.02.2006 व इन्तकाल से 51 दिनांक 14.02.2006 वर्ज करवा लिया अतःएव ऐसे इन्तकाल आरम्भ से प्रभावशून्य एवं विधि विरूद्ध है। इन्तकाल क्रमशः इन्तकाल सं.–48 विनांक 14.02.2006 व इन्तकाल सं.–51 दिनांक 14.02.2006 इस आधार पर भी विधि विरूद्ध है कि कथित इन्तकाल वर्ज करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा स्व. रूपराम के समस्त वारिसान की कोई जाचं नंही की और ना ही मौका पर कब्जा के सम्बध में कोई जांच की तथा ना ही समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। तहसीलदार द्वारा कथित इन्तकाल बिना किसी प्रकार की जांच किये भू राजस्व अधिनियम एवं इस अधिनियम के तहत बनाये गये इन्तकाल सम्बधी नियमों की पालना किये बिना व समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय तौर पर दर्ज किया गया है इन हालात में भी विरास्तन इन्तकाल क्रमशः इन्तकाल सं.–48 दिनांक 14.02.2006 व इन्तकाल सं.–51 दिनांक 14.02.2006 सरहीन तौर पर काबिल निरस्ती के है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश की घरेलू महिला है प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं.–21 ता 6 द्वारा किए गए उपरोक्त घटनाक्रम की पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी चूंकिं प्रार्थीगण के अप्रार्थी सं.–1 ता 6 के साथ अच्छे विश्वासपूर्ण सम्बंध थे। प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता रूपराम के देहान्त उपरांत बार बार व लगातार अप्रार्थी सं.–1 ता 6 को विरास्तन इन्तकाल समस्त वारिसों के नाम दर्ज करवाने का कहा मगर अप्रार्थी सं.–1 ता 6 हमेशा प्रार्थीगण को विश्वास में लेकर शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देते रहे। प्रार्थीगण अरसा करीब एक माह पूर्व पटवारी हल्का से मिली तो उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड की स्थिति के बारे में अवगत करवाया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा समस्त सम्बंधित दस्तावेजात की प्रतियां हांसिल की तो प्रार्थीगण को पुरे घटनाक्रम की जानकारी हुई। जिस सम्बंध में प्रार्थीगण सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा अप्रा[illegible] ता 6 व अन्य के विरूद्ध अपराधिक अभियोग अलग से दर्ज करवाया जा रहा है [illegible] पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को [illegible] अमर की अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थी [illegible] चक 7 के तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–3 पं नं.–137/25 का किला नं. [illegible] ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 की 0.190 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 4.997 हैक्टर यानि 20 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि एवं चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पत्थर सं.–157/56 का किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

–1 ता 16 प्रत्येक 0.253 अनकमाण्ड, 17 ता 19 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 20 की 0.253 अनकमाण्ड, 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 25/1 का 0.228 कमाण्ड कुल 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि के किसी भू भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व उसे किसी भी प्रकार से अन्यंत्र रहन, बैचान व हस्तान्तरित करने से बाज वा ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज डाल उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक रूपराम द्वारा अपने जीवनकाल में एक ही शादी की थी जो अप्रार्थीया सं.–1 के साथ हुई थी। ग्राम पंचायत 78 जीबी द्वारा वर्ष 1986–87 में मृतक रूपराम के आवेदन पत्र पर जारी किए गए परिवार राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों की सूची में मृतक रूपराम तथा उसकी पत्नी व बच्चों के रूप ने अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 का नाम दर्ज है। जिसमे प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मृतक रूपराम के विधिक वारिस नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को मृतक रूपराम का वारिस होना बताते हुऐ यह अनवानी वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय से मृतक रूपराम के विधिक वारिसान होने के सबंध में किसी प्रकार की घोषणा नहीं करवाई है तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने अपने वाद के साथ प्रस्तुत किया है। जिसके अभाव में प्रार्थीगण वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 के नाम से दर्ज हुऐ नामातंरण को प्रश्नागत करते हुऐ प्रस्तुत किया गया है। जबकि नामातंरण के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जबकि प्रार्थीगण ने नामातंरण के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर ना कर उक्त वाद में नामातंरण को प्रशनागत किया गया है इसलिए भी प्रार्थीगण का वाद विधि के विपरित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्ती योग्य है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता रूपराम पुत्र रामूराम का देहान्त दिनांक 13.04.1991 को देहान्त हो गया। प्रार्थीगण के पिता रूपराम की दो शादीयां हुई थी जिसका प्रथम विवाह प्रार्थीगण की माता गोमती के साथ हुआ था जिसके नुत्फ से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का एक भाई राजपाल पैदा हुऐ थे प्रार्थीगण का भाई राजपाल नाबालिग अवस्था में ही फौत हो गया था तथा प्रार्थीगण के पिता रूपराम ने अप्रार्थी सं.–1 लिछमादेवी के साथ भी नाता किया था रूपराम एवं अप्रार्थी सं.–1 के संसर्ग से अप्रार्थी सं.–2 ता 6 पैदा हुऐ इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.–1 ता 6 मृतक रूपराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान हैं। मृतक रूपराम को उक्त विवादित कृक्षि भूमि भूमिहीन में पुख्ता आवंटन हुई थी मृतक रूपराम द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष राजस्थान उपनिवेश (1955) के पश्चात के अस्थाई कृ[illegible] व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन नि[illegible]1971 [illegible] अधीन सरकारी भूमि का आवंटन के लिऐ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण [illegible] पिता रूपराम द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में [illegible] के सदस्यों के तौर पर प्रार्थीगण, प्रार्थीगण की [illegible] का नाम अंकित किया गया है तत्पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के पिता रूपराम को उक्त विवादित कृषि भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए उक्त कृषि भूमि का पुख्ता आवंटन

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 10.02.1982 को किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण को भी प्रार्थीगण के पिता रूपराम के साथ उक्त विवादित भूमि के आवंटन का पात्र माना गया था प्रार्थीगण मृतक रूपराम की हकीकी पुत्रीयां व प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण का भी हित निहित है और प्रार्थीगण अपने मृतक पिता रूपराम की उक्त भूमि में विरास्तन हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है तथा प्रार्थीगण का अपने मृतक पिता रूपराम के नाम की उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा हित निहित है। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व विभाजन के वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाता की हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं, पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आने के उपरांत निर्णीत होगें। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षित किया जाना उचित है एवं न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 7 के तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–3 पं नं.–137/25 का किला नं. –1 ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 की 0.190 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 4.997 हैक्टर यानि 20 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि एवं चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पत्थर सं.–157/56 का किला नं.–1 ता 16 प्रत्येक 0.253 अनकमाण्ड, 17 ता 19 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 20 की 0.253 अनकमाण्ड, 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 25/1 का 0.228 कमाण्ड कुल 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि की राजस्व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट को स्वीकार किया जाकर वाके चक 7 के तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–3 पं नं.–137/25 का किला नं.–1 ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 की 0.190 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 4.997 हैक्टर यानि 20 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि एवं चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पत्थर सं.–157/56 का किला नं.–1 ता 16 प्रत्येक 0.253 अनकमाण्ड, 17 ता 19 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 20 की 0.253 अनकमाण्ड, 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 25/1 का 0.228 कमाण्ड कुल 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि की राजस्व रिकार्ड यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

82

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

... राव
...खण्ड अधिकारी
अनूपगढ़।